

राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

क्रमांक :- प.17(3955) आक्षेवि/रेगु/2016/ 369

दिनांक :- 01-07-2016

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.।	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर
--	---	---	---

विषय :- इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 02.07.2016 सायं 6 बजे से 28.07.2016 प्रातः 6 बजे तक चलाने हेतु समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम।

प्रसंग :- मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ पत्रांक : एफ.4/रेगु/1206 दिनांक 28.06.2016

महोदय,

प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित चक्रीय कार्यक्रम जिसके तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 02.07.2016 सायं 6 बजे से 28.07.2016 प्रातः 6 बजे तक तीन समूहों में विभक्त कर एक समय में एक समूह को चलाया जाकर सात रोजा बारी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने के आप द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नगर परियोजना, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एतद द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता एवं समूहों का विवरण परिशिष्ट "अ" (अ 1/4 से "अ" 4/4) तथा समूहों की वरियता एवं चक्रीय कार्यक्रम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

मुख्य अभियन्ता, इंगानप, बीकानेर की मांग अनुसार साहवा लिफ्ट में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए अनिवार्य आवश्यकता में वर्तमान में दिये जा रहे 58.46 क्यूसेक के स्थान पर 62.46 क्यूसेक पानी अनिवार्य आवश्यकता में समिलित किया गया है, जो कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के मांग अनुरूप उक्त सीमा तक उन्हें देय होगी।

अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन अधोहस्ताक्षरकर्ता की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जावेगा।

इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटरों पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।

संबंधित मुख्य अभियन्तागण इस चक्रीय कार्यक्रम का जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवायेंगे।

सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावे ताकि आगामी चक्रीय कार्यक्रम समय पर जारी किया जा सकें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय

July

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :- (उक्त कार्यक्रम ई-मेल द्वारा प्रस्तुत/प्रेषित है एवं विभागीय वेबसाईट www.cad.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है)।

1. शासन सचिव (मुख्य मंत्री) मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जल संसाधन, राज. जयपुर।
3. शासन सचिव, सीएडी एवं जल उप. विभाग, राज. जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर/जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर/श्रीगंगानगर/जैसलमेर/हनुमानगढ़/चुरू/जोधपुर/नागौर/बाड़मेर।
7. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
8. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना-II, जन स्वा. अभि. विभाग, चुरू।
9. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चुरू।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत्त, नागौर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत्त, बाड़मेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर/श्रीगंगानगर।
14. उप निदेशक, कृषि एवं भू-सर्वेक्षण, बीकानेर।
15. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
16. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़/चुरू/जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
17. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

भवदीय

[Handwritten Signature]

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 02.07.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 28.07.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम"		
अनिवार्य आवश्यकता		
		(सभी मात्राएं क्यू में)
(क)	हरिके हैड से इन्दिरा गांधी मुख्य नहर की आर.डी. 243 तक	
1	हरिके हैड से बिस्धवाल हैड तक पानी के लॉसेज	530
2	रावतसर शाखा के माध्यम से पीने का पानी	55
3	सूरतगढ़ ताप बिजलीघर के लिए	75
4(i)	कंवरसेन जलोत्थान नहर	148
4(ii)	सूरसागर झील बीकानेर शहर में भण्डारण हेतु	2
5	साहवा जलोत्थान नहर	62.46
	योग-क	872.46
(ख)	इ.गा.मु.नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	
1	बिस्धवाल हैड से आर.डी. 620 तक पानी के लॉसेज	200
	योग-ख	200
(ग)	इ.गा.मु.न. की आर.डी. 620 से 1254 तक	
1	इगानप की आरडी 620 से आर.डी. 1254 तक पानी के लॉसेज	255
2	पीने का पानी बीकानेर शहर के लिए शोभासर जलाशय के माध्यम से	76
3	बरसिंहसर थर्मल प्लांट	25
4	नागौर लिफ्ट के लिए पीने का पानी	30
5	मैसर्स वी.एस. लिग्नाईट पावर प्रोजेक्ट प्रा.लि. गुढा	5
6	पीने का पानी जोधपुर लिफ्ट	195
7	सोलर पॉवर प्रोजेक्ट मैसर्स गोदावरी ग्रीज एनर्जी लिमिटेड	1.60
8	पोकरण फलसूण्ड पेयजल योजना	30
	योग-ग	617.60
(घ)	इ.गा.मु.नहर की आर.डी. 1254 के नीचे	
1	इगामुन की बुर्जी 1254 के नीचे लॉसेज	115
2	पीने का पानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए	70
3	पीने का पानी जैसलमेर शहर	30
4	रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना	25
5	गिराल परियोजना हेतु	24
6	राजवेस्ट परियोजना हेतु	40
7	बाडमेर लिफ्ट परियोजना हेतु	50
	योग-घ	354
	योग क+ख+ग+घ	2044.06

फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 02.07.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 28.07.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम" विवरण निम्न प्रकार है :-

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

समूह अ

(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक	
1	अनूपगढ़ शाखा	2400
2	सीधी वितरिकायें लखुवाली हैड से बुर्जी 165 तक (केसरदेसर वितरिका ऑफ टेक पवाइन्ट आर. डी. 116 (बांया) इगामुन एवं डीओ आरडी 99.500 इगामुन को छोडकर)	129
3	सीधे मोघे लखुवाली हैड से बुर्जी 165 तक	20
4	सीधी वितरिकायें बुर्जी 165 से बिरधवाल हैड तक तथा केसरदेसर वितरिका (ऑफ टेक पावाइन्ट आर.डी. 116 बायां इगामुन एवं डीओ आर.डी. 99.500 इगामुन)	81
5	सीधे मोघे बुर्जी 165 से बिरधवाल हैड तक	80
6	साहवा लिफ्ट	250
7	कवरसैन लिफ्ट	350
	योग :-क	3310
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	
	योग -ख	0
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक	
1	पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना	150
2	कोलायत लिफ्ट	200
3	दातौर वितरिका (आडूरी वितरिका)	70
4	भूरासर वितरिका प्रणाली	290
5	छोटी नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 961 से 1254 तक	222
6	पोकरण लिफ्ट	50
7	नाचना मुख्य नहर	165
	योग -ग	1147
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे	
1	शहीद बीरबल शाखा भाग प्रथम	283
2	आसुतार वितरिका	185
3	बाबारामदेव जी सब ब्रांच की सीधी माईनरें बुर्जी 0 से 302	182
4	राबलाउ वितरिका	16
5	भुवाना वितरिका	15
6	धन्नाना वितरिका	73
7	लूनार वितरिका	44
8	गुन्जनगढ वितरिका	18
9	करड़ा वितरिका	28
10	नवतला वितरिका	30
11	मीर का तार वितरिका	16
12	मंडाउ वितरिका	105
13	मोहनगढ़ माईनर	14
14	मोहनगढ़ वितरिका	75
	योग-घ	1084
	योग क+ख+ग+घ	5541

फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 02.07.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 28.07.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम" विवरण निम्न प्रकार है :-

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

समूह ब

(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक	
1	नोर्थ घग्घर कैनाल	150
2	राठीखेड़ा माईनर	12
3	सीधे मोघे पंजाब सीमा से मसीतावांली हैड तक	100
4	रावतसर ब्रांच (प्रेमपुरा माईनर के अतिरिक्त)	618
5	नौरंगदेसर वितरिका	460
6	साहवा लिफ्ट कैनाल	290
	योग :-क	1630
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	
1.	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 415 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	295
2.	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 415 से 507 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	302
3.	रोजड़ी वितरिका	261
4	पूगल ब्रांच	719
5	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 507 से 620 तक के सीधे मोघे एवं वितरिकाएं	130
	योग -ख	1707
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक	

1	चारणवाला शाखा	900
2	छोटी नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 860 से 961 तक	136
3	पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना	100
4	कोलायत लिफ्ट	140
	योग -ग	1276
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे	
1	सुल्ताना वितरिका	310
2	सादा वितरिका प्रणाली भाग- द्वितीय	140
3	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 47.650 से बुर्जी 133 तक	57
4	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 0 से बुर्जी 47.650 तक की सीधी माईनरें	92
5	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 190 से बुर्जी 314 तक की सीधी माईनरें	80
6	सागरमल गोपा शाखा के लॉसेज	30
7	तनौट वितरिका	204
	योग -घ	913
	योग क+ख+ग+घ	5526

परिशिष्ट "अ" (4/4)

फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 02.07.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 28.07.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम" विवरण निम्न प्रकार है :-

(सभी मात्राएं क्यूसेक में)

समूह स

(क)	हरीके हैड से इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 तक	
1	रावतसर ब्रांच (प्रेमपुरा माईनर)	12
2.	सूरतगढ़ ब्रांच	1875
3.	जोरावरपुरा वितरिका	49
4.	खेतेवाली वितरिका	72
5.	सीधे मोघे मसीतावाली हैड से लखुवाली हैड तक	50
6	कवरसैन लिफ्ट	350
	योग :-क	2408
(ख)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 243 से 620 तक	
	योग :-ख	0
(ग)	इ.गा.मु. नहर की 620 से 1254 तक	
1	दातौर वितरिका प्रणाली (आड़ूरी वितरिका को छोड़ कर)	210
2	सीधी नहरें बुर्जी 620 से 750	193
3	वीरतेजाजी जलोत्थान नहर	80
4	छोटी नहरें एवं सीधे मोघे बुर्जी 750 से 860	190
5	चारणवाला शाखा मेहराब खां वितरिका प्रणाली	150
6	बिरसलपुर शाखा	530
7	पन्नालाल बारूपाल जलोत्थान योजना	125
8	कोलायत लिफ्ट	200
9	फलौदी लिफ्ट	135
	योग -ग	1813
(घ)	इ.गा.मु. नहर की बुर्जी 1254 से नीचे	
1.	घंटियाली वितरिका	272
2.	मिठडिया माईनर	24
3.	रोरुण्ड वितरिका	70
4	स्वामिका माईनर	12
5	च्यू माईनर	22
6	शहीद बीरबल शाखा भाग द्वितीय	550
7	सादा वितरिका प्रणाली भाग प्रथम	350
8	सागरमल गोपा शाखा बुर्जी 133 से बुर्जी 190 तक	53
	योग-घ	1353
	योग क+ख+ग+घ	5574

परिशिष्ट "ब"				
फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 02.07.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 28.07.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम"				
समय : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर				
क्र.सं.	अवधि (इगामुन की आरडी 620)	ग्रुपों का वरियता समूह		
1	02.07.2016 (सायं 6.00 बजे) से 11.07.2016 (प्रातः 6.00 बजे) तक	स	अ	ब
2	11.07.2016 (प्रातः 6.00 बजे) से 1.9.07.2016 (सायं 6.00 बजे) तक	अ	ब	स
3	19.07.2016 (सायं 6.00 बजे) से 28.07.2016 (प्रातः 6.00 बजे) तक	ब	स	अ

नोट :-

1.	छोटी नहरों का रोटेशन साढ़े सात दिन में पूरा हो जाने के कारण उन्हें साढ़े सात दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया जायेगा। शेष 1 दिन मुख्य नहर व शाखाओं के क्रॉस रेगुलेटर पर वांछित जल स्तर बनाये रखने हेतु होगा।
2.	उपरोक्त दर्शाया गया समय इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 का है। अन्य हैडो पर पानी पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जायेगा।
3.	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय यदि प्रथम समूह की वरीयता की नहरों को आवश्यकता से अधिक जल प्राप्त होता है तो द्वितीय एवं तृतीय वरीयता समूह की जो भी नहरें चलनी चाहिए उनके लिए ही पानी छोड़ा जावेगा। यदि मांग पत्र (इन्डेंट) को संशोधित करवाने की आवश्यकता हो तो अधिशाषी अभियन्ता, रेगुलेशन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ अपने स्तर पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, से सम्पर्क कर उनके द्वारा प्रेषित मांग पत्र को संशोधित करवाकर ही पानी छोड़े। मांग पत्र में संशोधन दूरभाष पर वार्ता कर लिया जावे।
4.	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय सिंचाई हेतु प्रथम वरीयता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पोंडस को डिप्लीट करके पूरा किया जावेगा। अगर फिर भी प्रथम वरीयता को आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पानी की कमी का बंटवारा प्रथम एवं द्वितीय चरण की नहरों में आनुपातिक रूप से किया जावेगा।
5.	नहरों को 3 में से 1 समूह चलाते समय यदि प्रथम वरीयता समूह की नहरों को चलाने के पश्चात् पानी शेष रहता है तो पूर्व में प्रथम वरीयता में प्रभावित नहरों की वरीयता द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाली नहरों से भी उपर होंगी, किन्तु ऐसा करते समय संबंधित मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित करेंगे कि रेगुलेशन प्रोग्राम में निर्धारित उनके अधिकृत हिस्से से अधिक पानी का उपयोग नहीं करेंगे।
6.	"0" आर.डी. मसीतावाली हैड पर पानी कम उपलब्ध होने की स्थिति में आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इगानप, बीकानेर के आदेश क्रमांक 2394 दिनांक 20.10.07 की पालना की जाकर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम एवं द्वितीय में पानी की कमी का वहन आनुपातिक रूप से किया जावेगा।